मध्यप्रदेश शासन

खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग

मंत्रालय

क्रमांक आर-1294/(9-4)2019/29-2/2387 भोपाल, दिनांक : 6/10/2021

प्रति,

नियंत्रक,
नाप-तौल, मध्यप्रदेश
भोपाल

विषय :- कम्प्यूटराइज्ड केन्द्रीयकृत निरीक्षण व्यवस्था के क्रियान्वयन के संबंध मे।

संदर्भ :- खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग का ज्ञाप क्रमांक 1130/1294/(9-4)2019/29-2 भोपाल, दिनांक 29.08.2020.

----00----

कृपया उपरोक्त विषयांतर्गत संदर्भित पत्र का अवलोकन करें । जिससे खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग द्वारा अधिशासित अधिनियम यथा Legal Metrology Act, 2009 अंतर्गत होने वाले समस्त निरीक्षणों के संबध में पूर्व में जारी समस्त निर्देशों को समाप्त करते हुए नवीन निर्देश प्रसारित किए गए हैं।

इसी अनुक्रम में लेख है कि छोटे-छोटे स्थाई व्यापारिक संस्थानों का डाटाबेस कम्प्यूटराईज्ड केन्द्रीयकृत निरीक्षण व्यवस्था (CIS) में अपडेट नहीं होने से उनके इंस्पेक्शन शेडयुल करने मे आने वाली व्यवहारिक कठिनाईयों एवं निरीक्षकों की कमी को देखते हुए अन्य आदेश होने तक **कम्प्यूटराईज्ड केन्द्रीयकृत निरीक्षण व्यवस्था (CIS) केवल औद्योगिक प्रतिष्ठानों, पेट्रोल पंप, गैस ऐजेन्सी एवं वेब्रिज के निरीक्षण के लिये ही लागू रहेगी।**

विभिन्न माध्यमों जैसे- भारत शासन, उपभोक्ता मामले विभाग के National Consumer Helpline (NCH) पोर्टल, सी.एम. हेल्पलाईन, शासन को प्राप्त शिकायती ई-मेल आदि से प्राप्त होने वाली शिकायतों के निरीक्षण तथा आयुक्त एवं कलेक्टर कार्यालय के प्रशासकीय अधिकारियों द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुक्रम में की जाने वाली जांच को पूर्व में ही केन्द्रीयकृत निरीक्षण व्यवस्था (CIS) से मुक्त रखा गया है।

उक्त व्यवस्था तत्काल प्रभावशील होगी।

पृ० / 12
6/10/2021

(फैज अहमद किदवई)
प्रमुख सचिव,
खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग

498
06-10-21

लगातार .....

पृ.क्र. आर-1294/(9-4)2019/29-2/2388 भोपाल, दिनांक :06/10/21

प्रतिलिपि:-

1. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग, मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल,
2. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग, मंत्रालय बल्लभ भवन भोपाल,
3. प्रबंध संचालक, एमपी इण्डस्ट्रीयल डेवलपमेंट कारपोरेशन लि., सेडमेप भवन, भोपाल,
4. उप सचिव, मध्यप्रदेश शासन, मुख्य सचिव कार्यालय, मंत्रालय, बल्लभ भवन, भोपाल,

की ओर खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के ज्ञाप क्रमांक 1131/1294/(9-4)2019/29-2 भोपाल, दिनांक 29.08.2020 के संदर्भ में सूचनार्थ ।

प्रमुख सचिव,

खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग